

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 24/2022

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अमनाराम पुत्र श्री भूराराम जाट निवासी धींगड़ा पार्क, वार्ड नम्बर 15, 4 नम्बर स्कूल के
पारा श्रीगंगानगर।
मै० चौधरी मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पारा श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया। व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांक:—खाद्य सुरक्षा/निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2022 को 11.00 ए.एम. का मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पारा श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता अमनाराम पुत्र श्री भूराराम को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे मावा (खोवा) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे 100 किग्रा वजनी डी फ्रीज में रखे आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी मावा (खोवा) में मिलावज का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते मावा (खोवा) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व गने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मावा (खोवा) में से 1 किलोग्राम मावा (खोवा) विक्रेता से खरीद कर एक साफ सूखे बर्तन में खरीद कर लिया तथा चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की सीरी जो मेरे पारा उपलब्ध थी मे भरकर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कथशुदा मावा (खोवा) का नगद भुगतान 300/- रुपये किया तथा पैकिंग बनावकर लिया


अतिरिक्त कमिश्नर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और गेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीगो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अमनाराम एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री अमनाराम को देकर असाल पर रसीद प्राप्ता की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा (खोवा) को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलो भरकर लिया। चार बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के 1565 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ के-1565 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अमनाराम एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांव रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/957/एक्ट/2022/957 दिनांक 20.10.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1565 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अमनाराम पुत्र श्री भूराराम जाट निवासी धीगडा पार्क, वार्ड नम्बर 15, 4 नम्बर स्कूल के पारा श्रीगंगानगर मै0 चौधरी मावा गण्डार, बस स्टैण्ड के पारा श्रीगंगानगरद्वारा अमानक स्तर **Mawa (khoa)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।


अति. जिला कलेक्टर (न्यायनिर्णय)
श्रीगंगानगर



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी चौधरी मावा भण्डार बस स्टेण्ड श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 11.10.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थ की बाढ़ जांच सब स्टेण्डर्ड का फुड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा को बनाने के लिए दुध बाजार से खरीद करके उक्त मावा तैयार किया गया था जिसमें फेट कम थी प्रार्थी द्वारा उक्त मावा में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है। इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध अनुचित की गई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण फरमाया जावे।


परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Khoa** का सैम्पल **K-1565** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/957/एक्ट/2022/957 दिनांक 20.10.2022 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी चौधरी मावा भण्डार बस स्टेण्ड श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 11.10.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थ की बाढ़ जांच सब स्टेण्डर्ड का फुड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा को बनाने के लिए दुध बाजार से खरीद करके उक्त मावा तैयार किया गया था जिसमें फेट कम थी प्रार्थी द्वारा उक्त मावा में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है। इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध अनुचित की गई है। अतः प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण फरमाया जावे।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mawa (khoa)** " Code No and Sr. No. **K-1565** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-standard Food** as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त अमनाराम पुत्र भूराराम को एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अमनाराम पुत्र श्री भूराराम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 5,000 00 (अखरे रुपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।


अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में अगनाराम पुत्र श्री भूराराम खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डा. हरीतिमा)

न्यायिक निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीरंगपट्टण